राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1972/2008/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'सी', जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स लोढ़ा ऑफ सेट लिमिटेड, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 53/आरएसटी/जेयू–सी/2006–07 में राजस्थान राज्य में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 28 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.7.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'सी', जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2004–05 के लिये प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 06.11.2006 के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.9.2007 में संशोधन हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का प्रवेश कर अधिनियम के तहत वर्ष 2004–05 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.11.2006 को पारित कर भारत के बाहर से आयातित पेपर की खरीद पर प्रवेश कर आरोपित किया गया था। व्यवहारी द्वारा प्रवेश कर आरोपण को अपील में चुनौती देने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.9.2007 से व्यवहारी की अपील इस आधार पर स्वीकार की गई कि दिनांक 21.8.2007 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **मैसर्स दिनेश पाउचेज लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2007** में प्रवेश कर को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है।

लगातार.....2

3. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश दिनांक 26.9.2007 में संशोधन हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.01.2008 पेश किया गया जिसमें कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रवेश कर के मामलों में दिनेश पाउचेज सम्बन्धी मामलों में स्थगन चाहने पर दिनांक 23.10.2007 को केवल उन मामलों में ही स्थगन दिया है जिन्होंने याचिका दर्ज की थी और चूंकि इस व्यवहारी द्वारा याचिका दायर नहीं थी अतः दिनेश पाउचेज का निर्णय लागू न होने से इस पर आरोपित कर यथावत रखने हेतु अपीलीय आदेश को संशोधित किया जावे।

4. अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना–पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलीय आदेश दिनांक 26.9.2007 में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि मैसर्स दिनेश पाउचेज लिमिटेड में प्रवेश कर असंवैधानिक घोषित होने के कारण अपील स्वीकार की है एवं उसमें कोई त्रुटि नहीं है बल्कि आदेश सोच–विचार कर किया गया है।इस तरह अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.7.2008 से व्यवहारी का संशोधन आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा संशोधन आवेदन खारिज करना विधि विरूद्ध है।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश दिनांक 28.7.2008 एवं अपीलीय अधिकारी के पूर्व आदेश दिनांक 26.9.2007 को खारिज कर राजस्व की अपील स्वीकार कर प्रवेश कर आरोपण को पुनर्स्थापित किये जाने का आग्रह किया गया। राजस्व की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स दिनेश पाउचेज के निर्णय को अपास्त कर प्रवेश कर को वैध घोषित कर दिया गया है, अतः इस आधार पर भी कर निर्धारण आदेश पुनर्स्थापित किये जाने योग्य है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि यह अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा संशोधन प्रार्थना–पत्र को खारिज करने के आदेश दिनाक 28.7.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें संशोधन प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है अतः कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा संशोधन आवेदन खारिज करने के गुणावगुण पर ही निर्णय किया जा सकता है कि क्या संशोधन प्रार्थना–पत्र खारिज करना उचित है अथवा नहीं।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

8. प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी के संशोधन आवेदन को खारिज करने के निर्णय दिनांक 28.7.2008 को विवादित किया गया है कि मूल अपील निर्णय दिनांक 26.9.2007 त्रुटिपूर्ण था अतः संशोधन प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये था। इस अपील प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 6.11.2006 के विरूद्ध जो अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी वह उस आधार पर खारिज की गयी थी कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स दिनेश पाउचेज के निर्णय में प्रवेश कर अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया जा चुका है वह आदेश पूर्णतया तत्समय विधिसम्मत आदेश था, जिसके विरूद्ध कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की जा सकती थी एवं आज की विधिक स्थिति में कर बोर्ड में यह निर्णय किया जा सकता था कि चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब प्रवेश कर वैधानिक घोषित कर दिनेश पाउचेज का निर्णय अपास्त कर दिया है अतः व्यवसायी पर प्रवेश कर पुनर्स्थापित किया जाता है, परन्तुं ऐसी कोई अपील कर बोर्ड में पेश नहीं की गयी, बल्कि अपीलीय आदेश दिनांक 26.9.2007 में संशोधन का आवेदन पेश किया गया था जो अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 37/33 के purview में नहीं होने एवं उस समय निर्णय में कोई गलती नहीं होने से संशोधन आवेदन खारिज किया गया है एवं संशोधन आवेदन को खारिज करने के आदेश के विरूद्ध यह अपील की गयी है अतः मेरे समक्ष केवल यह प्रश्न निर्णयार्थ है कि क्या संशोधन आवेदन खारिज करने का आदेश विधिसम्मत है अथवा नहीं। इस पर विचार किया गया। अपीलीयं आदेश के दिन अर्थात् दिनांक 26.9.2007 एवं संशोधन हेतु पेश आवेदन एवं निर्णय दिनांक 26.7.2008 के दिन भी दिनेश पाउचेज के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अस्तित्व में था एवं उसी आधार पर अपील निर्णय दिया गया था तब उसमें कोई त्रुटि का प्रश्न ही नहीं था, फलतः अपीलीय आदेश में यह विधिसम्मत निर्णय किया गया कि चूंकि दिनेश पाउचेज के निर्णय अनुसार सोच—विचार कर आदेश पारित किया गया है जिसमें रिकॉर्ड की कोई भूल नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि सोच—विचार कर पारित किये गये अपीलीय आदेश को बिना किसी अन्य विपरीत न्यायिक निर्णय के संशोधन नहीं किया जा सकता था क्योंकि संशोधन केवल इस आधार पर किया जा सकता है कि निर्णय में कोई Mistake apparent on record हो, जबकि यहां Mistake का बिन्दु नहीं था एवं न ही दिनेश पाउचेज के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस समय खारिज किया था ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने संशोधन प्रार्थना—पत्र को खारिज करने में कोई

लगातार.....4

विधिक भूल नहीं की है। चूंकि इस अपील में संशोधन प्रार्थना–पत्र को खारिज करने के निर्णय का ही बिन्दु है, एवं बिना किसी त्रुटि अथवा उच्चतर न्यायिक निर्णय के [redacted] अपीलीय आदेश को संशोधित नहीं किया जा सकता एवं न ही यह rectification के प्रावधान के Purview में आता है अतः संशोधन आवेदन खारिज करने में अपीलीय आदेश में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं होने से राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य